न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेटपरिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.–074423258

मिसल नम्बर–08/2025

1.चेतन पारेता आत्मज जगन्नाथ पारेता जाति कलाल निवासी ई–61 न्यू जवाहर नगर कोटा

प्रार्थी।

बनाम

1.ओमप्रकाश राठौर पुत्र बजरंगलाल राठौर जाति तेली निवासी 1 जे 11 महावीर नगर विस्तार योजना कोटा

2.निखिल अधिकारी पुत्र मनोरंजन अधिकारी जाति वैष्णव निवासी 207, राजेन्द्र नगर कैरियर पोईन्ट के पीछे कैथून रोड इण्डस्ट्रीयल एस्टेट, कोटा

3.संजय कुमार नागर पुत्र स्व0 हरिमोहन नागर जाति धाकड़ निवासी विज्ञान नगर कोटा राज0

4.राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील लाडपुरा जिला कोटा राजस्थान।

5.नगर विकास न्यास कोटा (केडीए) जरिये सचिव केडीए कोटा राज0।

अप्रार्थीगण।

–:निर्णयः–

(राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 9/5/25

उपस्थितिः–

1.श्री रघुवीर सिंह राठौड़ अधिवक्ता प्रार्थी।

2.अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 स्वयं उपस्थित

3.श्री शम्भूदयाल विजय अप्रार्थी नं0 5 अधिवक्ता

4.सरकार पैरोकार।

राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत् प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत हुआ। प्रार्थना–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि ग्राम देवली अरब तहसील लाडपुरा जिला कोटा में साबिक खसरा नं0 1007 रकबा 0.60 है0 एवं खसरा नं0 1008 रकबा 0.07 है0 आराजी स्थित है जो पूर्व में श्रीनाथ आत्मज आनन्दीलाल के खाते दर्ज रेकार्ड थी। उक्त खातेदार द्वारा उक्त आराजी का विक्रय कर दिया है। वर्तमान में उक्त आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के नाम दर्ज रेकार्ड है जिस पर वह मालिक व काबिज चले आ रहे है। आराजी ख0नं0 1007 का रकबा 0.60 है0 दर्ज रेकार्ड है किन्तु उक्त ख0नं0 का वर्तमान नक्शा ट्रेस 0.52 है0 का बना हुआ है। इसी प्रकार ख0नं0 1008 का रकबा 0.07 है0 है किन्तु नक्शा ट्रेस 0.05 है0 का बना हुआ है जबकि मौके पर पूरा मौजूद है जिस पर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 मालिक व काबिज है। उक्त आराजी का नक्शा रेकार्ड में दर्ज रकबे से 0.10 है0 कम बना होने के कारण प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 को काफी परेशानियो का सामना करना पड रहा है जबकि प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 उक्त आराजी पर मुताबिक रेकार्ड अनुसार पूरे रकबे पर

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

काबिज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के खाते की आराजी खसरा नं0 1007 रकबा 0.60 है0 एवं खसरा नं0 1008 रकबा 0.07 है0 के वर्तमान नक्शा ट्रेस में रकबा बरारी कर नाम में कमी रकबा 0.10 है0 की दुरूस्ती समीपस्थ ख0नं0 से दुरूस्ती की जाकर उक्त आराजी का नक्शा ट्रेस रेकार्ड में दर्ज रकबा अनुसार दुरूस्ती किये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी की तलबी वास्ते नोटिस प्रेषित किये गये।

प्रार्थी के प्रार्थना–पत्र के सम्बन्ध में अप्रार्थी नं0 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया गया।

अप्रार्थी नं0 4 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि जमाबंदी संवत 2070–2073 में खाता सं 42 के ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0, ख0नं0 923 रकबा 0.47 है0, ख0नं0 924 रकबा 0.03 है0 कुल किता 4 रकबा 1.17 है0 भूमि खातेदार ओमप्रकाश पुत्र श्रीनाथ हि0 पूर्ण जाति ब्राह्मण सा0 छावनी कोटा के नाम दर्ज रिकार्ड थी प्रकरण ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0, ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0 कुल किता 2 रकबा 0.67 में रकबा दुरूस्ती का है। मूल खातेदार ओमप्रकाश पुत्र श्रीनाथ जाति ब्राह्मण द्वारा ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0 की भूमि का बेचान विभिन्न व्यक्तियों को किया गया। प्रकरण में उक्तानुसार ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 में से विक्रय होने के पश्चात वर्तमान/नवीन ख0नं0 1695/1007 रकबा 0.1116 है0, ख0नं0 1724/1694 रकबा 0.1116 है0, ख0नं0 1726/1723 रकबा 0.1116 है0 ख0नं0 1728/1725 रकबा 0.1116 है0, ख0नं0 1727/1725 रकबा 0.1536 है0 दर्ज रिकार्ड किये एवं मूल ख0नं0 1008 रकबा 0.07 यथावत मूल ख0नं0 ही रहा है। मुताबिक पटवारी नक्शा ग्राम देवली अरब के मूल ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 एवं ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0 की रकबा बरारी करने पर ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 के स्थान पर रकबा 0.53 है0 अर्थात 0.07 है0 की कमी एवं ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0 के स्थान पर रकबा 0.06 है0 अर्थात 0.01 है0 की कमी अर्थात ख0नं0 1007 एवं 1008 में कुल कमी 0.08 है0 भूमि होना ज्ञात हुआ। मौके पर हाल ख0नं0 1727/1725 रकबा 0.1536 है0 में 0.07 है0 एवं ख0नं0 1008 में रकबा 0.01 है0 की पूर्वी दिशा में 0.08 है0 भूमि प्रार्थी के कब्जे में है। अतः नक्शे में हाल ख0नं0 1727/1725 में 0.07 है0 एवं ख0नं0 1008 में से 0.01 है0 अर्थात कुल 0.08 है0 को नक्शे में दुरूस्ती किये जाने हेतु प्रस्तुत है।

अप्रार्थी नं0 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश करने निवेदन है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र धारा 136 लै0 रे0 एक्ट में प्रस्तुत कर दिया है, किन्तु न तो सेटलमेन्ट से पूर्वकी जमाबन्दी का उल्लेख किया है, न ही मिलान क्षेत्रफल का अंकन किया है, और न ही गत नक्शा ट्रेस व हाल नक्शा ट्रेस का कोई विवरण अंकित किया है, इसलिये मामला धारा 136 लै0 रे0 एक्ट के अन्तर्गत चलने योग्य नही है, क्यो कि धारा 136 सेटलमेन्ट की गलती की दुरूस्ती हेतु बनाया गया है जबकि प्रार्थी ने तुलनात्मक विवरण प्रार्थना पत्र में अंकित ही किया है, इसलिये महज पटवारी हल्का से मिलिभगत कर सरकारी भूमि हड़पने की नियत से यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जो सव्यय खारिज किये जाने योग्य है। भूमि जितनी भी सिवायचक थी, माननीय जिला कलैक्टर कोटा के आदेश से वह सब भूमिया के0डी0ए0 के खाते दर्ज हो चुकी है, और के0डी0ए0 की कीमती भूमि होने से उस प्रार्थी गलत तरीके से अपने नाम कराना चाहता है, जब कि सेटलमेन्ट हुये करीब 40 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और प्रार्थी द्वारा

उपखण्ड अधिकारी
को

इससे पूर्व आज तक कोई कार्यवाही प्रस्तुत नही की गई है, इसलिए प्रार्थना पत्र खारिज होने योग्य है। अतः जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावे, तथा विशेष हर्जा व खर्चा प्रार्थी से अप्रार्थी नं0 5 को दिलवाया जावे।

बाद तहसील रिपोर्ट दौरानें बहस उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा अपने अपने प्रार्थना–पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराया।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। तहसीलदार लाडपुरा द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट कथन किया है कि ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 में से विक्रय होने के पश्चात वर्तमान/नवीन ख0नं0 1695/1007 रकबा 0.1116 है0, ख0नं0 1724/1694 रकबा 0.1116 है0, ख0नं0 1726/1723 रकबा 0.1116 है0 ख0नं0 1728/1725 रकबा 0.1116 है0, ख0नं0 1727/1725 रकबा 0.1536 है0 दर्ज रिकार्ड किये एवं मूल ख0नं0 1008 रकबा 0.07 यथावत मूल ख0नं0 ही रहा है। मुताबिक पटवारी नक्शा ग्राम देवली अरब के मूल ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 एवं ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0 की रकबा बरारी करने पर ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 के स्थान पर रकबा 0.53 है0 अर्थात 0.07 है0 की कमी एवं ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0 के स्थान पर रकबा 0.06 है0 अर्थात 0.01 है0 की कमी अर्थात ख0नं0 1007 एवं 1008 में कुल कमी 0.08 है0 भूमि होना ज्ञात हुआ। पत्रावली में सलंग्न दस्तावेजों यथा राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी का अवलोकन किया गया। दस्तावेजो एवं तहसील रिपोर्ट के अवलोकन से इस तथ्य की पुष्टि होती है कि खसरा नं0 1007 का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रकबा 0.60 है0 है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में रकबा 0.53 है0 दर्ज है इसी प्रकार खसरा नं0 1008 का राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में रकबा 0.07 है0 है परन्तु राजस्व रिकॉर्ड नक्शा ट्रेस में रकबा 0.06 है0 दर्ज है। राजस्व नक्शे में ख0नं0 1007 रकबा 0.60 है0 के स्थान पर रकबा 0.53 है0 अर्थात 0.07 है0 की कमी एवं ख0नं0 1008 रकबा 0.07 है0 के स्थान पर रकबा 0.06 है0 अर्थात 0.01 है0 की कमी अर्थात ख0नं0 1007 एवं 1008 में कुल 0.08 है0 कम भूमि दर्ज है। अतः उपरोक्तानुसार प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को प्रथम दृष्ट्या ही स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131, 136 के तहत् प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर ग्राम देवली अरब के खसरा नं0 1727/1725 के राजस्व नक्शे में 0.07 है0 एवं खसरा नं0 1008 के राजस्व नक्शे में 0.01 है0 की दुरूस्ती पूर्वी दिशा में करने के आदेश दिये जाते है।

उक्त निर्णय आज दिंनाक: 9/5/25 .....को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा